कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांकः– 830/11–सी–FP/UP/Trans/40906/2019, लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 10 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग मे प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.101 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/04/90/2020/एफ0सी0/875, दिनांक 08.09.2020, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–551/11–सी–FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांक 10.09.2020 एवं आपका पत्रांक–1391/मी0क्षे0/33, दिनांक 08.10.2020

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.10.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परिक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–2 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव राज्य वन्यजीव परिषद में विचाराधीन है। भारत सरकार के पत्र सं0–11–327/2015 एफ0सी0, दिनांक 14.08.2015 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के विस्तृत गाइडलाइन (2019) में उल्लिखित 12.3 के अनुसार प्रस्ताव पर एक साथ कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति संलग्न करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–3 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पुनः चयनित स्थल 94 हे0 का संशोधित SoI Toposheet संलग्न नही किया गया है।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–5 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी द्वारा संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map एवं प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है।

अतः विषयगत प्रकरण में उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कराते हुये भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण संशोधित बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तीन मूल प्रतियों में संस्तुति सहित एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय
10.10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 830 / FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. महाप्रबन्धक, ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0, मकान नं0–116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-865

E-D-S

पत्रांक 1437/मी0/33 दिनांक अक्टूबर 12 2020

प्रतिलिपि प्र0व0अ0 ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मीरजापुर तथा कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्तानुसार आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।